सं० 645/पांच-9-2015-9(222)/14

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
चिकि० स्वा० एवं प०क०
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक प०क०
प०क० महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग– 09 दिनांक : 14-5-15 ~~04.2015~~

विषय : परिवार कल्याण कार्यक्रम –पुरूष नसबंदी, महिला नसबंदी तथा लूप निवेशन हेतु प्रतिकेस अनुमन्य धनराशि संशोधन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्व मे निर्गत शासनादेश संख्या 1675/पांच–9–2014–9(222)/14, दिनांक 11.12.2014, चिकित्सा अनुभाग –9 द्वारा प्रदेश में इन्हैन्स्ड कम्पन्सेशन स्कीम 2014 लागू करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए है।

उक्त शासनादेश के अन्तर्गत प्रदेश में बंध्याकरण क्षतिपूर्ति के रूप में निम्नानुसार दरें निर्धारित की गई है –

तालिका सं0 1 –ए. सरकारी स्वास्थ्य इकाईयां (सभी धनराशि रुपयों में)

क0	विवरण	महिला नसबन्दी			पुरुष नसबन्दी	
	पैकेज का विवरण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	पोस्ट पार्टम नसबन्दी	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	लाभार्थी	600	1400	2200	1100	2000
2	प्रेरक आशा	150	200	300	200	300
3	ड्रग्स और ड्रेसिंग	100	100	100	50	50
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	75	150	250	100	250
5	एनेस्थेटिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	25	50	50	–	–
6	नर्स/ए.एन.एम.	15	30	50	15	30
7	ओ.टी. तकनीशियन/सहायक	15	30	50	15	30
8	क्लर्क/डाक्यूमेण्टेशन	–	20	–	–	–
9	रिफ्रेशमेण्ट	10	10	–	10	10
10	अन्य विविध	10	10	–	10	10
	योग	**1000**	**2000**	**3000**	**1500**	**2700**

इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त, तालिका ए में सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर बंध्याकरण क्षतिपूर्ति के रूप में पूर्व निर्धारित दरों को निम्नवत संशोधित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संशोधित तालिका सं0 2 –ए. सरकारी स्वास्थ्य इकाईयां (सभी धनराशि रुपयों में)

क्र.	विवरण	महिला नसबन्दी			पुरुष नसबन्दी	
	पैकेज का विवरण	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर	पोस्ट पार्टम नसबन्दी	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	लाभार्थी	600	1400	2200	1100	2000
2	प्रेरक / आशा	150	200	300	200	300
3	ड्रग्स और ड्रेसिंग	100	100	100	50	50
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	75	150	250	100	250
5	एनेस्थेटिस्ट / सहयोगी चिकित्सक	25	50	50	–	–
6	नर्स / ए.एन.एम.	15	30	50	15	30
7	ओ.टी.तकनीशियन / सहायक / एल0टी0	7.50	15	25	7.50	15
8	वार्ड ब्वाय / आया	4.50	9	15	4.50	9
9	स्वीपर	3	6	10	3	6
10	क्लर्क / डाक्यूमेण्टेशन	–	20	–	–	–
11	रिफ्रेशमेण्ट	10	10	–	10	10
12	अन्य विविध	10	10	–	10	10
	योग	1000	2000	3000	1500	2700

3 – संशोधित तालिका –2 के क्रम संख्या –2 पर प्रेरक / आशा के रूप में देय, प्रेरक की धनराशि किसी भी व्यक्ति को जो कि हितग्राही को नसबंदी अपनाने हेतु प्रेरित करता है उसे पुनरीक्षित मुआवजा योजना के अंतर्गत प्रेरक हेतु अनुमन्य धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

4 – तालिका –1 के क्रम संख्या –7 पर ओ.टी.तकनीशियन / सहायक को देय धनराशि को शासनादेश सं0 299 / 5–9–2008–06(17) / 89–टी.सी. दिनांक 12.03.2008 में निहित व्यवस्था के अनुरूप ओ.टी टेक्निशियन / सहायक को देय धनराशि को एल.टी., वार्ड ब्वाय / आया तथा स्वीपर के मध्य संशोधित तालिका –2 के क्रम संख्या –7, 8, 9 पर की गई व्यवस्था के अनुसार देय होगी। ।

5 – कृपया शासनादेश संख्या 1675 / पांच–9–2014–9(222) / 14, दिनांक 11.12.2014, दिनांक 13 दिसम्बर 2014 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या – 645(1)/पांच-9-2015 तद्दिनांक

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 – संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2.– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली।
3 – महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, परिवार कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ।
4 – समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5 – समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय / जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
7– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
8– प्रभारी कम्प्यूटर सेल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विशेष सचिव)